कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1252 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 29 जुलाई, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान के अन्तर्गत मतदाताओं को जारी किए जाने वाले नोटिस के वितरण, नोटिस की तामीली, सुनवाई की कार्ययोजना, सुनवाई की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 29 जुलाई, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में राज्य के सभी जनपदों से निम्न अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे–

1. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी
3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी

बैठक के प्रारम्भ में सभी जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अपने–अपने जनपद के संबंध में नोटिस वितरण की स्थिति, सुनवाई की कार्ययोजना, सुनवाई प्रारम्भ किए जाने की तिथि, सुनवाई पूर्ण किए जाने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि राज्य के सभी जनपदों में नोटिसों की शत–प्रतिशत प्रिंटिंग पूर्ण कर नोटिस ईआरओ एवं बीएलओ स्तर तक उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही, विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नोटिस वितरण एवं सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। जनपदवार उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार नोटिस डाउनलोड, प्रिंटिंग तथा सुनवाई की प्रस्तावित समय–सारणी की स्थिति निम्नवत् रही :–

क्र. सं.	जनपद	सुनवाई प्रारम्भ	सुनवाई की अंतिम तिथि
1	उत्तरकाशी	04.08.2026 से	31.08.2026 तक
2	चमोली	03.08.2026 से	31.08.2026 तक
3	रूद्रप्रयाग	01.08.2026 से	29.08.2026 तक
4	टिहरी गढ़वाल	03.08.2026 से	31.08.2026 तक
5	देहरादून	03.08.2026 से	29.08.2026 तक
6	हरिद्वार	30.07.2026 से	31.08.2026 तक
7	पौड़ी गढ़वाल	28.07.2026 से	31.08.2026 तक
8	पिथौरागढ़	03.08.2026 से	31.08.2026 तक
9	बागेश्वर	03.08.2026 से	31.08.2026 तक
10	अल्मोड़ा	29.07.2026 से	03.09.2026 तक
11	चम्पावत	27.07.2026 से	29.08.2026 तक
12	नैनीताल	01.08.2026 से	25.08.2026 तक’
13	ऊधम सिंह नगर	01.08.2026 से	31.08.2026 तक

समीक्षा के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किए गए :–

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया जा रहा है, उन्हें नोटिस समय से प्राप्त हो तथा उन्हें आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु सुविधाजनक रूप से पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाए।

2. यह प्रयास किया जाए कि मतदाता को नोटिस तामील कराते समय ही उससे अपेक्षित आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लिए जाएं, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं समयबद्ध बनाया जा सके।
3. मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यथासंभव मतदेय स्थल अथवा उसके निकटतम उपयुक्त स्थान पर सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदाता को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने अथवा सुनवाई की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु मतदाताओं को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
5. ईआरओ एवं एईआरओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करने तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारु एवं त्वरित बनाए जाने हेतु शिक्षा, राजस्व, तहसील एवं अन्य संबंधित विभागों से आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारियों को नामित किया जाए।
6. प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई सुनवाई की कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप सुनवाई पूर्ण की जाए।
7. सभी जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने–अपने जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फील्ड विजिट करें तथा नोटिस तामील, आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने एवं सुनवाई की प्रगति की नियमित समीक्षा करें। किसी भी स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए।
8. पूरी प्रक्रिया में मतदाता की सुविधा एवं पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यदि किसी स्थान पर मतदाताओं की सुविधा हेतु पुनः सुनवाई की तिथि नियत की जानी अपेक्षित हो, तो उसके लिए भी समय नियत कर लिया जाय तथा प्रयास किया जाय कि उपरोक्त सभी कार्यवाही 31 अगस्त, 2026 तक पूर्ण कर ली जाय।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तृतीय चरण में नोटिस तामील एवं सुनवाई की कार्यवाही को समयबद्ध, पारदर्शी, सुगम एवं मतदाता–केंद्रित रखते हुए निर्धारित समय–सारणी के अनुसार पूर्ण किया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या– 1252/ XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
सत्यमेव जयते
CHIEF ELECTORAL OFFICER
UTTARAKHAND